संख्या-268/2026/आई0/1515912/2026-5-8099/149/2022-8-

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 05 नवम्बर, 2026**

विषय:- स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा Hiring of IT agency for designing, developing, integrating, customizing & maintaining Web based Applications and Mobile Applications हेतु आई0टी0 एजेन्सी पर आने वाले वित्तीय भार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-11फ/2026-27/7064, दिनांक 18.05.2026 एवं पत्र संख्या-11फ/2026-27/14998, दिनांक 09.10.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा Hiring of IT agency for designing, developing, integrating, customizing & maintaining Web based Applications and Mobile Applications हेतु आई0टी0 एजेन्सी पर आने वाले वित्तीय भार (सभी कर सहित) रूपये 3,84,97,264/- (तीन करोड़ चौरासी लाख सत्तानवे हजार दो सौ चौंसठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा Hiring of IT agency for designing, developing, integrating, customizing & maintaining Web based Applications and Mobile Applications वेबसाइट के सुचारू रूप से संचालन हेतु अनुबन्धित एजेन्सी पर आने वाले वित्तीय भार (तालिकानुसार) (सभी कर सहित) रूपये 3,84,97,264/- (तीन करोड़ चौरासी लाख सत्तानवे हजार दो सौ चौंसठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

Sl. No.	Mandatory Heads of the Project	Amount (inRs.)
D.1	Total of Table (A) Charges for Running of IT Cell with resources equipped with company owned Laptop/Desktop/UPS/Data Card.	2,88,60,000.00
D.2	Total of Table (B) Charges for Annual Maintenance Cost of the Integrated Web Portal and GIGW Website.	30,54,800.00
D.3	Total of Table (C) Charges for Software Licenses Cost for 1 Year to run IT Cell, Local Server, Hosting Infra deployed at SDC UP	7,10,000.00
D.4	Sub Total	3,26,24,800.00
D.5	GST@ 18%	58,72,464.00
D.6	Grand Total	3,84,97,264.00

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
3. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्थानुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।
4. पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2027 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आदेशों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुये वित्त विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।
6. धनराशि संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।
7. आगामी प्रस्ताव उपलब्ध कराते समय अब तक अग्रिम के रूप में स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,84,97,264 (रुपये तीन करोड़ चौरासी लाख सत्तानबे हजार दो सौ चौंसठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के मांग-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 032 **लेखाशीर्षक** 2210808000900 विभागीय वेवसाइटो का संचालन **शीर्षक** 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. निदेशक (प्रशासन/चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in